

# Only JJB

## केवल किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम, जिसके लिये आवेदन किया गया है:- .....

1. पूरा नाम- .....
2. पिता/पति का नाम-.....
3. जन्म तिथि(अंको एवं शब्दों में) -.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
4. वर्तमान व्यवसाय .....
5. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

पासपोर्ट  
आकार का  
कलर फोटो  
चिपकाएं

1. घर का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में -.....  
.....पिन कोड.....
2. सम्पर्क नम्बर ..... मोबाइल नम्बर .....ई-मेल .....
3. क्या आप किशोर न्याय बोर्ड /बाल कल्याण समिति के सदस्य है/रहे है। यदि हां तो विवरण :-

क्र	बोर्ड/समिति का नाम	पद	जिला	कार्यकाल की अवधि
1				
2				
3				
4				

4. (अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)-

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1	12वी.			
2	स्नातक			
3	स्नातकोत्तर			
4	एम फिल/पी.एच.डी			
5	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
6	कम्प्यूटर का ज्ञान(डिग्री यदि हो तो)			

(2)

5. बालकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव(समस्त संस्थाओं के प्रमाण पत्र/पत्र संलग्न करें)।-

क्र	क्षेत्र/संस्था/स्वतंत्र कार्य का नाम/विषय	अनुभव (दिनांक से दिनांक तक	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

6. यदि व्यवसायगत कृतिक है तो विवरण-

क्र	किस क्षेत्र में व्यवसायगत व्यक्ति (practicing professional) है	वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

11. पुलिस सत्यापन/आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषसिद्ध हो तो उसका विवरण -

क्र	दर्ज प्रकरण	दोषसिद्ध/प्रचलित/दोषमुक्त
1		
2		
3		

नोट : कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करे तथा यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।

10. किसी एक पर टिक (✓)करें -मेरा आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज आर.टी.आई में दिये जाने हेतु

मैं सहमत ( )/असहमत( ) हूँ।

11. कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करें।

- जन्म तिथि प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र)।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- बालकों के क्षेत्र में कार्य के समस्त अनुभव प्रमाण पत्र/पत्र।
- डिग्री प्राप्त व्यवसायगत व्यक्ति (practicing professional) होने का प्रमाण पत्र।
- निवास का प्रमाण। (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट/मूल निवासी प्रमाण पत्र)

निरंतर.....

f गृह/निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन अथवा पुलिस को सत्यापन हेतु दिया आवेदन।

g आवश्यक शपथपत्र नोटरी पर जिसमें निम्नलिखित प्रमाणिकरण आवश्यक है:-

- मैं दिवालिया घोषित नहीं किया गया हूँ।
- बोर्ड के सदस्य के रूप में चयनित होने पर मैं अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नहीं रहूंगा।
- बोर्ड के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा नहीं रहूंगा।
- मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।
- मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।
- मैं किसी ऐसे संगठन से नहीं जुड़ा हूँ जिसे विदेश से सहायता प्राप्त होती है।
- यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
- मेरे द्वारा पद के आवेदन के संबंध में दिये गये निर्देशों का भलिभांति अध्ययन कर लिया है। यदि निर्देश में निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के कारण मेरा आवेदन अमान्य होता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।
- मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र में संलग्न किये गये सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है तथा मेरे द्वारा आवेदन में कोई तथ्य छुपाये नहीं गये है। आवेदन पत्र में दी गई किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी एवं छुपाये गये तथ्यों के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी जिसके लिए मेरे उपर की गई कोई भी वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड में सदस्य के दो पद हैं, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित है, पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्तें, निर्देश एवं आवेदन प्रारूप निम्नानुसार हैं:-

**1/ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए अर्हताएं :-**

- (i) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्षों का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान(child psychology) या मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र में (law) डिग्री प्राप्त व्यवसायगत व्यक्ति (practicing professional) हो।

**2/ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :-**

- (i) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- (ii) बोर्ड का सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

**3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए अपात्रता :-**

- i** मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड हो।
- ii** ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
- iii** उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

**iv** वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक

**v** बोर्ड में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो ।

#### **4/ अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड—**

1. यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है ।
2. बोर्ड के सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
3. चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नहीं होगा ।
4. अभ्यर्थी ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो ।
5. बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो ।
6. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो ।
7. दिवालिया न हो ।
8. बोर्ड में सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
9. चयनित होने पर ज्वार्डनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तदोपरांत ज्वार्डनिंग ली जावेगी ।

#### **5/ पद हेतु आवेदन प्रक्रिया—**

1. विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे ।
2. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्तें आदि पृथक-पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक-पृथक मान्य होंगे । यदि

आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद,दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक-पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. यदि आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फार्म में पृथक-पृथक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद,दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नहीं होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।
6. आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
7. विज्ञप्त पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
8. आवेदन आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में दिनांक 29 सितम्बर 2023. जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से जमा/प्रेषित किये जा सकते हैं। ई-मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक  
महिला एवं बाल विकास  
मध्यप्रदेश